क्रमांक 34401-22 जी.डी.ओ./ दिनांक 04.11.2020

प्रेषक

महानिदेशक,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।

प्रेषित

सभी उपनिदेशक, हरियाणा राज्य में,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग।

विषयः **गौशालाओं में उचित प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) 2020-21.**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाता है **हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की अधिसूचना संख्या 2092–ए.एच.–4–2017/3098 दिनांक 17 मार्च, 2017 के द्वारा "हरियाणा में गौशालाओं की कार्यविधियों तथा प्रकियाओं के न्यूनतम मानक सहिंता"** जारी किए गए नियमों का गौशालाओं द्वारा समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त **उचित प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** मानकों जैसे कि **आवासीय सुविधा, दाना प्रबंधन, चारा प्रबंधन तथा रोग नियंत्रण** का भी सभी गौशालाओं द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए। इन मानकों को ध्यान में रखते हुए "हरियाणा में गौशालाओं की कार्यविधियों तथा प्रकियाओं के न्यूनतम मानक सहिंता" की निरंतरता में गौशालाओं में **उचित प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) 2020-21** का गठन किया गया है।

इस सन्दर्भ में आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप तुरन्त प्रभाव से अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली सभी गौशालाओं में इन मानकों को सख्ती से लागू करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्त।

4/11/20

गौशाला विकास अधिकारी,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
हरियाणा, पंचकुला।

पृ0 क्रमांक 34423 जी.डी.ओ./ दिनांक 04.11.2020

इसकी एक प्रति सचिव, गौसेवा आयोग, हरियाणा, पंचकुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

4/11/20

गौशाला विकास अधिकारी,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
हरियाणा, पंचकुला।

पृ0 क्रमांक 34424 जी.डी.ओ./ दिनांक 04.11.2020

इसकी एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।

4/11/20

गौशाला विकास अधिकारी,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
हरियाणा, पंचकुला।

गौशालाओं में उचित प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) 2020-21.

हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की अधिसूचना संख्या 2092–ए.एच.–4–2017/3098 दिनांक 17 मार्च, 2017 के द्वारा **"हरियाणा में गौशालाओं की कार्यविधियों तथा प्रकियाओं के न्यूनतम मानक सहिंता"** जारी किए गए नियमों का गौशालाओं द्वारा समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त **उचित प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** मानकों जैसे कि **आवासीय सुविधा, दाना प्रबंधन, चारा प्रबंधन तथा रोग नियंत्रण** का भी सभी गौशालाओं द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए। इन्हीं मानकों को ध्यान में रखते हुए "हरियाणा में गौशालाओं की कार्यविधियों तथा प्रकियाओं के न्यूनतम मानक सहिंता" की निरंतरता में गौशालाओं में **उचित प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) 2020-21** का गठन किया गया है।

हरियाणा राज्य में 624 गौशालाएं हैं और इन गौशालाओं में लगभग 4.44 लाख गौवंश का रख–रखाव किया जाता है। प्रदेश की सभी गौशालाओं में गौशाला प्रबन्धन द्वारा गौवंश की समुचित देखभाल की जाती है। गौशालाओं में अधिकतर वृद्ध, अपंग आदि गाय होती हैं, जिनको उनके मालिकों द्वारा लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता है या दुर्घटनाओं में घायल हो जाती हैं। ऐसी गायों का पालन–पोषण गौशालाओं में किया जाता है। नगर निगम व ग्राम पंचायतों द्वारा भी नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में घूमने वाले बेसहारा गौवंश को पकड़ कर गौशालाओं में छोड़ा जाता है। सड़कों पर घूमने वाले गौवंश ज्यादातर बूढ़े, कमजोर, लाचार व भुखमरी के शिकार होते हैं, जो सड़कों पर अक्सर पॉलीथिन इत्यादि खाने के आदि होते हैं। चारा खाकर जब ये जुगाली करते हैं तो इससे इनके पेट में पॉलीथिन जम जाती है जिसके कारण गौवंश की पाचन क्रिया बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। इसलिए गौशाला के गौवंश में मृत्यु दर अधिक होना सामान्य बात है।

कुछ परिस्थितियों में पाया गया है कि हरे चारे जैसे ज्वार व चरी में कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे पानी की कमी, सूखे तथा चारे को एक विशेष स्थिति में काटे जाने पर चारे में नाइट्रेट या सायनाइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तब ऐसे चारे को यदि पशुओं को खिलाया जाता है तो पशुओं की चारा विषाक्तता के कारण अकाल

मृत्यु हो जाती है। इस तरह के मामले ऐसे होते हैं, जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता तथा मात्र केवल चारे को देखने से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि चारे में नाइट्रेट या साइनाइड की मात्रा अधिक है तथा इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचना संभव नहीं हो पाता है। हालांकि कुछ बातों पर ध्यान रखने से काफी हद तक गौवंश की मृत्यु दर कम की जा सकती है। गौशाला में गौवंश की मृत्यु दो कारणों से होती है –

1) बूढ़ी, बीमार या कमजोर आदि गौवंश की निरंतर मृत्यु होती रहती है,

2) अचानक किसी बीमारी या विषाक्तता से गौवंश की मृत्यु।

1. आवासीय सुविधा

गौशाला में गौवंश को आवासिय सुविधा प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिएः–

1.1 गौशाला में पशुओं का शैड बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गौशाला में मौजूद गौवंश के लिए घूमन–फिरने और व्यायाम के लिए पर्याप्त हो। शैड से दौगुने साइज की खुली जगह भी होनी आवश्यक है ताकि उनकी शारीरिक कसरत हो सके।

1.2 गौशाला में गौवंश को उनके आकार और प्रकार के अनुसार ही रखना चाहिए। एक ही बाड़े में हट्टे–कट्टे गौवंश के साथ कमजोर गौवंश को नहीं रखना चाहिए।

1.3 नर जो झगड़ालु प्रवृति के होते हैं उनको मादा गायों के साथ नहीं रखना चाहिए। नर गौवंश को उचित समय पर बधियाकरण करवाना चाहिए ताकि उनकी प्रवृति को शांत रखा जा सके और उनकी झगड़ालु प्रवृति के करण चोट लगने से अन्य पशु को बचाया जा सके।

1.4 छोटे गौवंश को भी अलग बाड़े में रखना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा सके।

1.5 सींग वाले गौवंश या सींग रहित 6 गौवंश के लिए कम से कम 10 फुट की खुरली होनी आवश्यक है (सांडों के लिए और अधिक) अन्यथा उचित जगह के अभाव में वह असमान मात्रा में दाना–चारा खाएंगे व भूखे या कम चारा खाने वाला गौवंश निरंतर कमजोर हो जाएंगे। खाने के लिए कम जगह होने की स्थिति में उनके घायल होने का खतरा भी बना रहता है।

1.6 खुरली के ऊपर अगर कोई पाइप लगा हो तो वह इस तरह से हो कि खुरली में पाइप के नीचे कोई गौवंश फंस कर घायल न हो पाए।

1.7 पानी पीने के लिए हौदी इस तरह की हो कि उस शैड के 10 प्रतिशत गौवंश एक बार में पानी पी सकें।

1.8 छोटे बछड़े–बछड़ियों के लिए खुरली व पानी की हौदी की ऊँचाई इस प्रकार से हो कि वो अच्छे तरह से खा पी सकें।

1.9 हर 15 दिन में खुरली व पानी की हौदी की निरंतर साफ–सफाई करके उसमें उचित कीटाणुनाशक डालें ताकि उनमें कोई कीटाणु न पनप पाएं।

2. दाना प्रबंधन

गाय के पेट के चार भाग (रुमेंन, रेटिकुलम, ओमेजम एवं एबोमेजम) होते हैं। रुमेन में उनके द्वारा खाया गया चारा–दाना स्टोर होता है, जिसमें से खाने के बाद जुगाली के समय चारा–दाना मुँह में आता है और चबाने के बाद ओमेजम में जाता है और फिर एबोमेजम में उसका पाचन होता है। गौवंश में एबोमेजम ही मनुष्य के आमाश्य की भान्ति कार्य करता है। गौवंश के दाना–चारा में अचानक से काई भी बदलाव सही नहीं है। इसे क्रमशः एक से दो सप्ताह में धीरे–धीरे बदलना उचित रहता है। गौवंश को चारा–दाना खिलाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिएः

2.1 गाय का पेट इस तरह से बना होता है कि शुष्क पदार्थ के आधार पर उनको खुराक का एक तिहाई भाग अनाज (फीड) व दो तिहाई तक सूखा एवं हरा चारा उपयुक्त रहता है। एक तिहाई से अधिक मात्रा में अनाज (फीड) खिलाने से गाय के पेट में एसिडोसिस हो जाती है जिसके कारण पेट में अफारा बन जाता ह जो जानलेवा हो सकता है।

2.2 अनाज किसी भी रुप में देने से पहले चारे में मिलाना चाहिए ताकि कोई गौवंश चुनकर अकेला अनाज न खा पाए और एसिडोसिस की समस्या से ग्रसित न हो पाये।

2.3 त्योहारों या किसी खास आयोजन जिसमें लोग हलवा–पूरी या अन्य प्रसाद गऊओं को खिलाते हैं जिससे गौवंश को एसिडोसिस हो जाता है। अतः ऐसे आयोजनों पर गौशाला प्रबंधन पहले से ही सतर्क रहना चाहिए और अपने कर्मचारियों को विशेष तौर पर पशुओ के बाड़ो में निगरानी के लिए तैनात करना चाहिए।

2.4 किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा सीधे तौर पर अधिक मात्रा में कुछ भी न खिलाने दिया जाए। चैक करके पॉलीथिन की थैली एक जगह खाली करवा कर एक छोटे तसले में सामग्री

गऊओं को परोसने दिया जाए। अगर अनजान व्यक्ति गायों को खिलायेगा तो जो गाय सबसे शक्तिशाली व चुस्त होगी व अन्य कमजोर गऊओं को एक तरफ करके बार-बार अधिक मात्रा में हलवा-पूरी आदि खाएगी व एसिडोसिस से बीमार पड़ेगी।

2.5 गायों को गुड़ भी अधिक मात्रा नहीं खिलाना चाहिए इससे भी अधिक मात्रा में खाने से एसिडोसिस होती है व गर्मियों में गर्भपात भी हो सकता है।

2.6 कई लोग बेकड ब्रेड आदि खाद्य सामग्री भी गौवंश को खिलाते हैं जो उनकी खुराक अनुसार सही नहीं है। अतः ऐसी खाद्य सामग्री खिलाने से भी उन्हें रोकना आवश्यक है।

2.7 होटल या किसी शादी आदि के कार्यक्रम में बचा हुआ खाना जैसे चावल, पूरी, चपाती या सब्जी खिलाने से परहेज करना चाहिए। सब्जी मंडी की बची-खुची बासी सब्जियां भी गौशाला में नहीं खिलानी चाहिए।

2.8 गौवंश में बहार से आने वाले आगंतुकों को उनके द्वारा लाये गए भोजन पदार्थो के सम्बंधित दिशा निर्देश स्पष्ट तौर पर गौशाला में लिखे होने चाहिए।

2.9 जैसा कि अधिक मात्रा में अनाज खाने से गायों में एसिडोसिस हो जाती है। अतः गौशाला में अनाज भंडारण इस तरह से स्थित हो कि किसी दुर्घटनावश भी कोई गौवंश वहां तक न पहुंच पाए। अनाज का भण्डारण करते समय उसमें किसी भी प्रकार गंध या रंग होने की स्थिति में गौवंश को नहीं खिलाना चाहिए, उसमें फफूंद लगी हो सकती है, जो गौवंश के स्वास्थ्य के नुकसानदायक होती है। पीसा हुआ अनाज अर्थात दाना एक महीने व साबुत अनाज एक वर्ष में खपत कर लेना चाहिए।

2.10 गौशाला में पैदा हुए बछड़े-बछडी का 3 महीने की उम्र तक उनका पेट इस तरह का होता है कि चारा हजम नहीं होता। इसलिए उनका ठीक से शारीरिक विकास हो इसके लिए दिन में 2-3 बार दूध मिले, फिर धीरे-धीरे मिल्क रिप्लेसेर व फीड आदि दें लेकिन चारा दो महीने बाद देना शुरु करें। किसी कारण से बछड़े-बछडी की मां दूध पिलाने में असमर्थ है (बीमार या मृत्यु) तो किसी अन्य गाय का दूध या एक खास प्रकार की निप्पल द्वारा दूध पिलाया जाना आवश्यक है।

2.11 50 ग्राम डाईकैल्शियमफास्फेट, 50 ग्रम नमक तथा 50 ग्रम मैग्नीशियम स्ल्फेट हर वयस्क गौवंश को रोजाना दिया जाना आवश्यक है। छोटे बछड़े बछड़ियां के लिए यह सामग्री शारीरिक भार अनुसार कम दिया जाए।

3.चारा प्रबंधन

हरा और सूखा चारा पशुओं का मुख्य आहार है। अतः इसकी उपलब्धता पूरे वर्ष के लिए सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। मौसमी चारे जैसे कि ज्वार, बाजरा, बरसीम या अन्य आसानी से मिलने वाले हरे चारे को गौशाला में लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इनके खाने से गौवंश में विषाक्तता भी हो जाती है, जो इस प्रकार हैंः

3.1 **सायनाइड विषाक्ततताः** ज्वार के तनों और पत्तियों में धूरिन नामक साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड पाया जाता है। यही धूरिन ही विषाक्तता की जड़ है। गौवंश के रुमेन (पेट) में मौजूद सूक्ष्म जीव इस धूरिन का हाइड्रोलिसिस करके गौवंश के पेट में हाइड्रोजन साइनाइड नामक जहर पैदा करते है। यह साइनाइड कोशिकाओं में मौजूद साइटोक्रोम आक्सीडेज नामक एंजाइम को काम करने से रोकता है। जिसके परिणाम स्वरुप हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अवमुक्त नहीं हो पाती जिससे गौवंश के नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। सांस लेने में तकलीफ, सांस की गति बढ़ जाने, मुंह से सांस लेना, लड़खड़ाहट, गौवंश के मुंह के अंदर की श्लेष्मा झिल्ली का नीला पड़ना, मुंह से अधिक लार गिरना, अफारा आना, डिहाइड्रेशन और दम घुटने से गौवंश मर जाता है।

यह विषाक्तता ज्वार, बाजरा तथा मक्का के हरे चारे में भी पाई जाती है। ज्वार के परिपक्व होने के बाद जब उसमें 50 प्रतिशत फूल आ जाएं (50–60 दिन पर) कटाई कर खिलाऐं। इस अवस्था में धूरिन की सक्रियता भी कम हो जाती है। छोटे/कम दिन के हरा चारा देने पर गौवंश में विषाक्ता होने की संभावना अधिक रहती है। बासी या एक–दो दिन पुरानी खेत से काटी हुई ज्वार व हरा चारा इत्यादि ना दें। इसमें हाईड्रोजन सायनाईड की मात्रा बढ़ जाती है। ज्वार की सिंचाई, समय–समय पर करते रहें और कटाई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, क्योंकि सूखे खेत में हाइड्रोजन सायनाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। 15 दिन से अधिक समय पर सिंचाई होने पर चारे में जहर बनने की संभावना बढ़ जाती है। हरा और सूखा चारा बराबर अनुपात में मिलाकर देने से हरे चारे की विषाक्तता से गौवंश का बचाव किया जा सकता है।

3.2 **नाइट्रेट विषाक्तताः** यह विषाक्तता ज्वार, बाजरा तथा मक्का के हरे चारे में पाई जाती हैं। मृदा में अत्यधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक (यूरिया) के प्रयोग, चारे की फसल में पानी न लगाने की वजह से चारे में नाइट्रेट का स्तर बढ़ जाता है जो गाय के पेट में जाकर नाइट्राईट में बदल जाता है जो अत्यधिक विशाक्त होता हैं। यह विषाक्तता बरसीम में यूरिया डालने से भी होती है। यह विष गाय के रक्त में पहुंचकर हीमोग्लोबिन को मेट–हीमोग्लोबिन में बदल देता है जिससे शरीर के विभिन्न

भागों में ऑक्सिजन नहीं पहुंच पाती। गौवंश को सांस लेने में तकलीफ, सांस व नाड़ी की गति बढ़ जाने, मुंह खुला करके सांस लेना, लड़खड़ाहट, आक्सीजन की कमी से गौवंश के मुंह के अंदर, नाक व आँख की श्लेष्मा गहरे रंग की हो जाती है, पशु पेट के पास सिर को घूमा कर बैठता है। चॉकलेट रंग का खून हो जाता है। 1–4 घंटे में गौवंश की मृत्यु हो सकती है। हरा और सूखा चारा बराबर अनुपात में मिलाकर देने से इस विषाक्तता से बचाव किया जा सकता है। छोटे, सुखकर ऐंठे हुए व पीले मुर्झाये हुए पौधों को चारे के रुप में नहीं लाना चाहिए। चारे की फसल में अत्याधिक नाइट्रोजन खाद या उर्वरक का इस्तेमाल न हो। खेत में सीवरेज का गंदा पानी न लगा हो। खेत में पानी लगाने के 2–3 दिन बाद चारे की कटाई की जाये।

3.3 **बरसीम में अफ़ाराः** बरसीम का हरा चारा अधिक खाने से गौवंश में अफ़ारा आ जाता है जिससे बायीं तरफ की कोख अधिक फूल जाती है। गंभीर अवस्था में गौवंश जमीन पर गिर जाता है जो उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। गौवंश में अफारा बचाव के लिए बरसीम को सूखी तूड़ी आदि में समान अनुपात में मिलाकर ही खिलाएं। बरसीम चारे के उगने बाद उसमें देशी खाद न डालें तथा यूरिया आदि उर्वरक भी विशेषज्ञ की राय से ही डाली जाए अन्यथा Molybdenum का स्तर बढ़ने के कारण इसकी विषाक्तता हो सकती है।

3.4 **पराली खाने से विषाक्तताः** आमतौर पर धान में बहुत अधिक कीटनाशकों को उपयोग किया जाता है, जिनके अंश बहुत अधिक मात्रा में पराली भी मौजूद होते हैं। पराली में अत्यधिक कीटनाशक होने के कारण गौवंश को दस्त लग जाते हैं, यहां तक कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए अधिक मात्रा में पराली खिलाने से बचना चाहिए और जहां तक संभव हो सके तो पराली ऐसे किसान से ली जानी चाहिए जो अपने खेतों में कम से कम रसायनों को इस्तेमाल करता हो।

3.5 **बदहजमीः** आमतौर पर यह समस्या पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में हरा/सूखा चारा और दाना खाने से होती है जो गौशालाओं में कम ही पाई जाती है। फिर भी अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने से भी बदहजमी में सिरका या मीठा सोडा दिया जा सकता है।

3.6 बारिश के मौसम में नीचे की तूड़ी में फफूंद लगने से काली पड़ जाती है जिसे गौवंश को खिलाने के इस्तेमाल में नहीं लेनी चाहिए।

3.7 उपरोक्त बातों के अतिरिक्त, चारा–भूसा आदि खिलाने से पहले ही पानी पिलाएँ। प्रतिदिन गौवंश को खुलें में घूमने छोड़े। सारा दिन चारा न दें। बीच में कुछ अंतराल के लिए खुरली भी खाली छोड़ें।

4. रोग नियंत्रण

4.1 गौशाला में बाहर से आये गौवंश में बिमारी हो सकती है जो बाकि गौंवंश में फैल सकती है इसलिए उसी दिन उनको गलघोंटू एंव मूँहखुर टीकाकरण करना चाहिए व 15 दिन तक अलग रखा जाए। उनको कृमि नाशक भी दिया जाए व चिचड़ न लगें हों यह ध्यान किया जाएताकि कोई जख्म यदि हो तो दवाई लगावाई जाए।

4.2 जब बेसहारा गौवंश को गौशाला में लाया जाता है ऐसे गौवंश की डाइट में चारे की मात्रा कम तथा अनाज की मात्रा अधिक रही हुई होती है तथा इनके पेट में अत्याधिक मात्रा में पॉलिथीन रहने की संभावना होती है। इसलिए इनकी खुराक में दाना व चारा समान मात्रा में शुरू किया जाए व जरूरत पड़े तो प्रोपलीन ग्लाइकोल (Propylene Glycol) या ग्लूकोजोनिक प्रीकर्सर (Gluconeogenic Precursors) आदि सप्लीमेंट भी पशुचिकित्सक के परामर्श अनुसार दिया जाना चाहिए। एकदम चारे पर रखने से उनके शरीर की ऊर्जा पूर्ति नहीं होगी और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से कमजोर हो जाएगें।

4.3 बीमार गौवंश के ईलाज के लिए अलग प्रबंध हो ताकि समय पर पूरा इलाज दिया जा सके तथा उपलब्ध करवाया गया दाना–चारा व पानी पूरा मिले।

4.4 शैड में कमजोर गौवंश निरंतर और कमजोर होकर बैठ जाता है तथा अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो गौवंश कमजोर दिखने लगे, को बाड़े से निकाल कर अलग जगह रखा जाए ताकि उनको कम से कम 15 दिन तक ठीक से दाना–चारा व इलाज (oral Liver tonic, Probiotics, Phosphorus supplement, Livamisole अदि) उपलब्ध करवाया जा सके। प्रायः यह देखने में आया है कि कमजोर गौवंश को अधिक इंजेक्शन लगाने से तनाव महसूस होता है और बैठ जाता है। इसलिए इस श्रेणी के गौवंश को जहां तक संभव हो मुंह के द्वारा सप्पलीमेंट दिए जाने चाहिए।

4.5 सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए रात को पल्ली आदि लटकाई जाए। छोटे बच्चे, कमजोर व बीमार गौवंश के लिए नीचे पराली या बोरी बिछाकर व बल्ब लटकाकर ठंड से बचाया जाए। गुनगुना पानी उपलब्ध करवाया जाए। फर्श का ढलान इस तरह से हो कि मूत्र आदि बह जाए।

4.6 गर्मियों में लू से बचाव के लिए ठंडा पानी, हवादार शैड, पंखे लगवाकर किया जाए व जरूरत अनुसार चिकित्सीय परामर्श पर शरीर को ठंडक प्रदान करने वाले आहारीय सप्पीमेंट भी दिए जाएं।

4.7 गौवंश में बाह्य परजीवी जैसे चिचड़िया, जूएं आदि लग जाते हैं जो एक दूसरे गौंवश में फैलते हैं। ये बाह्य परजीवी न सिर्फ गौवंश का खून चूसते हैं बल्कि गायों में कई तरह की बीमारियों जैसे Theileriosis, Babesiosis, Trypanosomiasis व Anaplasmosis आदि जानलेवा बीमारियों के वाहक भी हैं। इसलिए इनको जड़ से खत्म करने के लिए हर 15 दिन में Amitraz के स्प्रे से या नीम पत्ते आदि हर्बल तरीका आजमाया जा सकता है। दुधारू गौवंश को ivermectin नामक दवा नहीं देनी चाहिए ताकि दूध पीने वाले इंसानों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े।

4.8 खेतों से हरे चारे के साथ कुछ परजीवी (Faciola खास तौर पर) भी गौवंश के पेट में चले जाते हैं और अधिक संख्या में मृत्यु का कारण हो सकती है। इसलिए पशु चिकित्सीय परामर्श पर बड़े गौवंश को oxyclozanide & levamisole 15-15 दिन के अंतराल पर 2 बार देना चाहिए, जो 6 महीने बाद दोबारा देना चाहिए। छोटे बछड़े–बछड़िया को 15–15 दिन के अंतराल पर और फिर निरंतर हर महीने 6–8 महीने तक Fenbendazole 100-200 mg पशुचिकित्सीय परामर्श पर देनी चाहिए।

4.9 गलघोंटू एक ऐसी बीमारी है जो गौवशं (खास तौर पर कमजोर व बीमार) को अपनी गिरफ़्त में ले लेती हैं तथा गौशाला के दूसरे गौवंश में भी फैल जाती है और अधिक संख्या में मृत्यु का कारण हो सकती है। इसलिए वर्ष में 2 बार इसका टीकाकरण पशुपालन एंव डेयरी विभाग द्वारा करने को कहा जाता है तो गौशाला प्रंबधन द्वारा उचित लेबन उपलब्ध करवाते हुए गौशाला में एक 30–40 फुट लंबा शिंकजा लगा कर टीकाकरण करवाना जरूरी है। प्रयास हो की इस टीकाकरण से पहले सभी गौवंश को कृमिनाशक दवाई भी दे दी जाये।

4.10. दूध पीने या गौशाला में काम करने वाले इंसानों में फैलने वाली ब्रुसेल्लोसिस (Brucellosis) नामक एक खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी गौशाला में गौवंश पास–पास होने की वजह से तेजी से फैलती है। इस बीमारी से गौवंश में 5–7 महीने के गर्भ काल में गर्भपात व थनैला हो जाता है इसलिए गौशाला में इस तरह के लक्षण वाली गायों का RBPT टैस्ट करवाना चाहिए और टैस्ट में ब्रुसेल्ला बीमारी की पुष्टि होने पर सीरोलोजिकल (इनडाइरेक्ट एलाईजा या पीसीआर) टैस्ट के हिसाब से सवंमित गौवंश को स्वस्थ गौवंश से अलग करना अति आवश्यक है।

4.11. गौवंश में ब्रुसेल्ला का कोई इलाज नहीं है। इसलिए बचाव के लिए 3 से 6 महीने की उम्र की बछड़ियों को ब्रुसल्ला की वैक्सीन उसके टैग नंबर के रिकॉर्ड सहित लगवानी चाहिए।

बछड़ों में व वयस्क गौवंश में ब्रुसेल्ला वैक्सीन नहीं लगाई जाती।

4.12. गौशाला में Biosecurity के मध्यनजर खास तौर पर भार्दियों में कोई बीमारी न फैले इसलिए हर 15 दिन में किसी disinfectant का छिड़काव करना चाहिए या सप्ताह में एक बार गौशालाओं में बुझा हुआ चुने (कैल्शियम कार्बोनेट) का छिड़काव करवाना चाहिए। इसके अलावा एंट्री गेट पर चूने का छिड़काव करना चाहिए। किसी गाय के गर्भपात होने पर बच्चे व जेर को अच्छे से दस्ताने पहनकर उठाना चाहिए व उस जगह पर 5 किलो चूना डाल देना चाहिए।

4.13. गौशाला में गौवंश की संख्या विस्तृत तौर पर सूचनापट्ट पर दर्शायी जानी चाहिए जिसमें कुल नर, कुल मादा, दुधारू गाय एवं बीमार गौवंश की संख्या दर्शायी जाये।

4.14. आपातकालीन दवाइयां (गौवंश की संख्या व पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो)

- Inj. Dexamethasone
- Inj. Atropine Sulphate
- Inj. Chlorpheneramine Malate
- Activated Charcoal with liquid paraffin
- Powder Sodium bicarbonate
- Methyelene Blue (1% solution)
- Powder Sodium thiosulphate
- Powder Sodium Nitrite

4/11/20

जारीकर्ता
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।